द्वितीय अपील अधिकारी एवं
प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
जयपुर।

पीठासीन अधिकारी–श्रीमती वीनू गुप्ता (आई.ए.एस.)

क्रमांक : प0 07 (10) चिस्वा/ग्रुप–5/2016 जयपुर, दिनांक 26.09.2016

द्वितीय अपील संख्या 06/2016
अन्तर्गत धारा 38 (4),राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012

M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai

अपीलान्ट

बनाम

1. प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं विशिष्ठ शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर।

एवं

2. कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर।

रेस्पोंडेंट

निर्णय दिनांक 26.09.2016

प्रस्तुत अपील पर सुनवाई दिनांक 26.09.2016 को की गई। अपीलान्ट फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai की ओर से प्रतिनिधि श्री विभोर साहनी एवं श्री उमेश गुप्ता उपस्थित हुये तथा आर.एम.एस.सी.एल की ओर से प्रबन्ध निदेशक, कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.) उपस्थित हुये। अपीलान्ट फर्म एवं रेस्पोन्डेन्ट, दोनों पक्षकारो को सुना गया। संक्षिप्त मे अपील के तथ्य इस प्रकार है :–

आर.एम.एस.सी.एल. ने चिकित्सकीय उपकरणों (1) Refrigerated Centrifuge for Blood Components 6-8 Bags (2) Blood Cell Separation / Aphaeresis Machine (3) Blood Collection Monitor (4) Digital Hemoglobin Meter की खुली निविदा किये जाने हेतु निविदा सूचना संख्या F-8( ) RMSC/EPM/M-1/R.C. 15-16/NIB-117/2015/1419 दिनांक 28.09.15 को जारी कर तकनीकी बिड दिनांक 08.01.16 को खोली। इस निविदा सूचना अन्तर्गत फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने दों आईटमों Refrigerated Centrifuge for Blood Components 6-8 Bags & Blood Collection Monitor के लिये अपनी निविदा प्रस्तुत की है।

आरएमएससीएल ने फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा की तकनीकी बिड जॉच कर, इस निविदा अन्तर्गत सभी निविदादाताओ के लिये List of Responsive/ Non Responsive Bidders की घोषणा आदेश क्रमांक 2016 दिनांक 26.04.2016 से की। आरएमएससीएल के आदेश क्रमांक 2016 दिनांक 26.04.16 में फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai को आईटम Refrigerated Centrifuge for Blood Components 6-8 Bags के लिये Responsive Declare किया गया। आरएमएससीएल द्वारा दिनांक 26.04.16 को जारी की गई List of Responsive/ Non Responsive Bidders में फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai को Responsive declare किये जाने के विरूद्ध एक अन्य निविदादाता फर्म M/s Thermo Fisher India Pvt. Ltd., A-34 , Ground Floor , Sector - 2 , Noida ने प्रथम

... जयपुर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई। जिसमे प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 14.06.16 पारित किया गया। निर्णय में फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai द्वारा कोटेड आईटम Refrigerated Centrifuge for Blood Components 6-8 Bags की पात्रता के लिये जो CE Certificate प्रस्तुत किया गया है वह Issuing Agency - 3EC International द्वारा दिनांक 19.01.16 को Withdraw किये जाने का तथ्य उल्लेखित किया गया। दिनांक 14.06.16 के निर्णय अनुसार आरएमएससीएल को दस्तावेजो की उपयुक्तता के आधार पर List of Responsive/ Non Responsive Bidders के आदेश दिनांक 26.04.16 एवं फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai की निविदा के सम्बन्ध में समुचित निर्णय लिया जाना था।

फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai की तकनीकी पात्रता के महत्वपूर्ण दस्तावेज CE Certificate -Issuing Agency - 3EC International का तथ्य सामने आने के पश्चात निगम ने पुनः इस निविदा के लिये List of Responsive/ Non Responsive Bidders के संशोधन हेतु आदेश क्रमांक 2902 दिनांक 23.06.2016 जारी कर फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai को आईटम Refrigerated Centrifuge for Blood Components 6-8 Bags के लिये Non-Responsive घोषित किया गया।

फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने निगम के आदेश दिनांक 23.06.16 से इनकी निविदा को Non-Responsive घोषित किये जाने के विरूद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील संख्या 37/2016 प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 11.08.16 से निर्णित किया।

फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने निगम के आदेश दिनांक 23.06.16 एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं विशिष्ट शासन सचिव के आदेश दिनांक 14.06.16 के विरूद्ध हस्तगत द्वितीय अपील RTPP Act 2012 की धारा 38(4) अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

आरएमएससीएल द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या 117 दिनांक 28.09.15 के तकनीकी स्पेसिफिकेशनों के अनुसार "Should be compliant with European CE with notified body no. or US FDA (Valid documentation should be submitted in technical bid)" की पात्रता का मापदण्ड सभी निविदादाताओ के लिये रखा गया। निविदादाताओं को उपकरण की गुणवत्ता के प्रमाणिकरण हेतु European CE with notified body no. or US FDA में से एक अथवा दोनों सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना था। फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने निविदा प्राप्ति दिनांक 08.01.16 को कोटेड आईटम Refrigerated Centrifuge for Blood Components 6-8 Bags के लिये CE Certificate - Issuing Agency - 3EC International को संलग्न करते हुये अपनी निविदा प्रस्तुत की। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर आरएमएससीएल ने 26.04.16 के आदेश में फर्म की निविदा को Responsive किया। यह दस्तावेज Issuing Agency ने दिनांक 19.01.16 को Withdraw कर लिया, परन्तु फर्म अथवा अन्य पक्षकार से, आरएमएससीएल को इस तथ्य की जानकारी दिनांक 26.04.16 के आदेश जारी किये जाने तक नही थी।

इस निविदा के तकनीकी मूल्यांकन प्रकिया दौरान ही फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने स्वेच्छा से US FDA Registration सम्बन्धी दस्तावेज निगम को प्रस्तुत किये। निगम के अनुसार फर्म को USFDA मे केवल Owner/Operator Number ही प्राप्त है। फर्म को USFDA Registration Number प्राप्त नही है। इन US FDA दस्तावेजो में भी "Please note that registering your device facility and listing your devices does not, in any way, constitute FDA approval of your facility or your devices" का उल्लेख है। दौरान सुनवाई निगम ने यह भी कहा कि, M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai ने तकनीकी निविदा में, USFDA रजिस्ट्रेशन के Applied होने के कोई दस्तावेज संलग्न नही किये एवं ना ही तत्समय USFDA Website पर Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai के इस Quoted Model का विवरण दर्शित था। अतः Remi ने जो USFDA दस्तावेज दिये है, वे बिड के अनुसार Valid Documents नही है। हमने दोनो पक्षकारो के

तुत तर्क–वितर्को एवं अवलोकन कराये गये दस्तावेजो का अध्ययन किया। आरएमएससीएल द्वारा सभी निविदादाताओ के लिये रखे गये निविदा मापदण्डो के अनुसार ही कार्यवाही की गई है। यह अपील के जवाब एवं सुनवाई के समय दिये गये तथ्यों से स्पष्ट होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन आधार पर निगम द्वारा जारी किये गये आदेश दिनांक 26.04.16 एवं 23.06.16 को, फर्म के पास निविदा की पात्रता Maintain बाबत् दोनो दस्तावेजो CE with notified body no. or US FDA मे से कोई भी Valid दस्तावेज उपलब्ध नही था । अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी के आलौच्य निर्णय दिनांक 14.06.16, एवं दिनांक 11.08.16 तथा आरएमएससीएल के आदेश क्रमांक 2902 दिनांक 23.06.16 मे कोई परिर्वतन का तथ्यात्मक आधार प्रकट नही होने कारण, प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जाती है। निर्णय से सभी पक्षकारो को अवगत कराया जावें। आदेश की प्रति विभाग एवं राज्य उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित की जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नियमानुसार रिकॉर्ड मे संधारित की जावें।

वीनू गुप्ता (आई.ए.एस.)
द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

द्वितीय अपील अधिकारी एवं
प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
जयपुर।

पीठासीन अधिकारी–श्रीमती वीनू गुप्ता (आई.ए.एस.)

क्रमांक : प0 07 (11) चिस्वा/ग्रुप–5/2016 जयपुर, दिनांक 26.0.9.2016

द्वितीय अपील संख्या 07/2016
अन्तर्गत धारा 38 (4),राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012

M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai

अपीलान्ट

बनाम

1. प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं विशिष्ठ शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर।

एवं

2. कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर।

रेस्पोंडेंट

निर्णय दिनांक 26.09.2016

प्रस्तुत अपील पर सुनवाई दिनांक 26.09.2016 को की गई। अपीलान्ट फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai की ओर से प्रतिनिधि श्री विभोर साहनी एवं श्री उमेश गुप्ता उपस्थित हुये तथा आर.एम.एस.सी.एल की ओर से प्रबन्ध निदेशक, कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.) उपस्थित हुये। अपीलान्ट फर्म एवं रेस्पोन्डेन्ट, दोनों पक्षकारो को सुना गया। संक्षिप्त मे अपील के तथ्य इस प्रकार है :–

आर.एम.एस.सी.एल. ने चिकित्सकीय उपकरणों (1) Blood Bank Refrigerator (300 Blood Bag Capacity) (2) Dry Incubator (3) Fully Automated Deluxe Donor Couches (4) Horizontal Laminar Air Flow Bench (5) Di-Electric Tube Sealer (Portable) की खुली निविदा किये जाने हेतु निविदा सूचना संख्या F-8( ) RMSC/EPM/M-1/R. C. 15-16/NIB-113/2015/1416 दिनांक 28.09.15 को जारी कर तकनीकी बिड दिनांक 02.01.16 को खोली। इस निविदा सूचना अन्तर्गत फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने आईटम Blood Bank Refrigerator (300 Blood Bag Capacity) के लिये अपनी निविदा प्रस्तुत की है।

आरएमएससीएल ने फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा की तकनीकी बिड जॉच कर, इस निविदा अन्तर्गत सभी निविदादाताओ के लिये List of Responsive/ Non Responsive Bidders की घोषणा आदेश कमांक 2013 दिनांक 26.04.2016 से की। आरएमएससीएल के आदेश क्रमांक 2016 दिनांक 26.04.16 में फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai को आईटम Blood Bank Refrigerator (300 Blood Bag Capacity) के लिये Responsive Declare किया गया ।

आरएमएससीएल द्वारा जारी की गई एक अन्य निविदा सूचना संख्या 117 दिनांक 28.09.15 अन्तर्गत भी अपीलकर्ता फर्म ने एक अन्य आईटम Refrigerated Centrifuge for Blood Components 6-8 Bags के लिये अपनी निविदा प्रस्तुत की थी। इस निविदा के सम्बन्ध में निगम द्वारा दिनांक 26.04.16 को जारी की गई List of Responsive/ Non Responsive Bidders में फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai को Responsive declare किये जाने के विरूद्ध फर्म M/s Thermo Fisher India Pvt. Ltd., A-34 , Ground Floor , Sector - 2 , Noida ने प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं विशिष्ठ शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जयपुर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई। जिसमे प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 14.06.16

Authority- 3EC International को Issuing Agency द्वारा दिनांक 19.01.16 को Withdraw किये जाने का Valid नही माना। इसी 3EC International द्वारा जारी CE Certificate के आधार पर फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने, हस्तगत अपील से सम्बन्धित निविदा सूचना संख्या F-8( ) RMSC/EPM/M-1/R. C. 15-16/NIB-117/2015/1416 दिनांक 28.09.15 अन्तर्गत आईटम Blood Bank Refrigerator (300 Blood Bag Capacity) के लिये अपनी निविदा प्रस्तुत की है।

निविदा सूचना संख्या 113 के आईटम Blood Bank Refrigerator (300 Blood Bag Capacity) के लिये फर्म Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai द्वारा प्रस्तुत किया गया CE Certificate -Issuing Agency 3EC International को चूंकि Issuing Agency ने दिनांक 19.01.16 को Withdraw कर लिया था और यह तथ्य निगम के समक्ष List of Responsive/ Non Responsive Bidders के आदेश दिनांक 26.04.16 के पश्चात सामने आया, अतः तकनीकी पात्रता के महत्वपूर्ण दस्तावेज CE Certificate के Non-Valid रहने के कारण, निगम ने पुनः इस निविदा के लिये List of Responsive/ Non Responsive Bidders के संशोधन हेतु आदेश क्रमांक 2901 दिनांक 23.06.2016 जारी आईटम Blood Bank Refrigerator (300 Blood Bag Capacity) के लिये फर्म की निविदा को Non-Responsive Declare किया।

फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने निगम के List of Responsive/ Non Responsive Bidders के आदेश दिनांक 23.06.16 से आईटम Blood Bank Refrigerator (300 Blood Bag Capacity) के लिये इनकी निविदा को Non-Responsive घोषित किये जाने के विरूद्व प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील संख्या 38/2016 प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 11.08.16 से निर्णित किया।

अपीलकर्ता फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने निगम के आदेश दिनांक 23.06.16 एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं विशिष्ट शासन सचिव के निर्णय दिनांक 11.08.16 के विरूद्व हस्तगत द्वितीय अपील RTPP Act 2012 की धारा 38(4) अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

आरएमएससीएल द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या 113 दिनांक 28.09.15 के तकनीकी स्पेसिफिकेशनों के अनुसार आईटम Blood Bank Refrigerator (300 Blood Bag Capacity) के लिये "Should be compliant with European CE or US FDA (Valid documentation should be submitted in technical bid)" की पात्रता का मापदण्ड सभी निविदादाताओ के लिये रखा गया। निविदादाताओं को European CE or US FDA में से एक अथवा दोनों सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना था। फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने इस निविदा की तकनीकी बिड खोले जाने की दिनांक 02.01.16 को कोटेड आईटम Blood Bank Refrigerator (300 Blood Bag Capacity) के लिये CE Certificate - Issuing Agency - 3EC International को संलग्न करते हुये अपनी निविदा प्रस्तुत की। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर आरएमएससीएल ने 26.04.16 के आदेश में फर्म की निविदा को Responsive किया। यह दस्तावेज Issuing Agency ने दिनांक 19.01.16 को Withdraw कर लिया, परन्तु फर्म अथवा अन्य पक्षकार से, आरएमएससीएल को इस तथ्य की जानकारी दिनांक 26.04.16 के आदेश जारी किये जाने तक नही थी।

इस निविदा के तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया दौरान ही फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने स्वेच्छा से US FDA Registration सम्बन्धी दस्तावेज निगम को प्रस्तुत किये। निगम के अनुसार फर्म को USFDA मे केवल Owner/Operator Number ही प्राप्त है। फर्म को USFDA Registration Number प्राप्त नही है। इन US FDA दस्तावेजो में भी "Please note that registering your device facility and listing your devices does not, in any way, constitute FDA approval of your facility or your devices" का उल्लेख है। सुनवाई दौरान निगम ने यह भी कहा कि, M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai ने तकनीकी निविदा में, USFDA रजिस्ट्रेशन के Applied होने के कोई दस्तावेज संलग्न नही किये एवं ना ही तत्समय USFDA Website पर

USFDA दस्तावेज दिये है, वे बिड के लिये रखे गये तकनीकी मापदण्डो के अनुसार Valid Documents नही है। हमने दोनो पक्षकारो के प्रस्तुत तर्क–वितर्को एवं अवलोकन कराये गये दस्तावेजो का अध्ययन किया। आरएमएससीएल द्वारा सभी निविदादाताओ के लिये रखे गये निविदा मापदण्डो के अनुसार ही कार्यवाही की गई है। यह अपील के जवाब एवं सुनवाई के समय दिये गये तथ्यों से स्पष्ट होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन आधार पर निगम द्वारा जारी किये गये आदेश दिनांक 26.04.16 एवं 23.06.16 को, फर्म के पास निविदा की पात्रता Maintain बाबत् दोनो दस्तावेजो European CE or US FDA मे से कोई भी Valid दस्तावेज उपलब्ध नही था । अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी के आलौच्य निर्णय दिनांक 11.08.16 तथा आरएमएससीएल के आदेश कमांक 2901 दिनांक 23.06.16 मे कोई परिर्वतन का तथ्यात्मक आधार प्रकट नही होने कारण, प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जाती है। निर्णय से सभी पक्षकारो को अवगत कराया जावें। आदेश की प्रति विभाग एवं राज्य उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित की जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नियमानुसार रिकॉर्ड मे संधारित की जावें।

वीनू गुप्ता (आई.ए.एस.)
द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

द्वितीय अपील अधिकारी एवं
प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
जयपुर।
पीठासीन अधिकारी–श्रीमती वीनू गुप्ता (आई.ए.एस.)

कमांक : प0 07 (12) चिस्वा/ग्रुप–5/2016 जयपुर, दिनांक 26.09.2016

द्वितीय अपील संख्या 08/2016
अन्तर्गत धारा 38 (4),राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012

M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai

अपीलान्ट

बनाम

1. प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं विशिष्ठ शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर।

एवं

2. कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर।

रेस्पोंडेंट

निर्णय दिनांक 26.09.2016

प्रस्तुत अपील पर सुनवाई दिनांक 26.09.2016 को की गई। अपीलान्ट फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai की ओर से प्रतिनिधि श्री विभोर साहनी एवं श्री उमेश गुप्ता उपस्थित हुये तथा आर.एम.एस.सी.एल की ओर से प्रबन्ध निदेशक, कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.) उपस्थित हुये। अपीलान्ट फर्म एवं रेस्पोन्डेन्ट, दोनों पक्षकारो को सुना गया। संक्षिप्त मे अपील के तथ्य इस प्रकार है :–

आर.एम.एस.सी.एल. ने चिकित्सकीय उपकरणों (01) Variable volume multichannel Micro Pipette (8 channels) (30-300 ul) (02) Sterile Connecting Device (03) Platelet Agitator and Incubator (04) pH Meter की खुली निविदा किये जाने हेतु निविदा सूचना संख्या F-8( ) RMSC/EPM/M-1/R. C. 15-16/NIB-116/2015/1420 दिनांक 28.09.15 को जारी कर तकनीकी बिड दिनांक 02.01.16 को खोली। इस निविदा सूचना अन्तर्गत फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने आईटम Platelet Agitator and Incubator के लिये अपनी निविदा प्रस्तुत की है।

आरएमएससीएल ने फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा की तकनीकी बिड जॉच कर, इस निविदा अन्तर्गत सभी निविदादाताओ के लिये List of Responsive/ Non Responsive Bidders की घोषणा आदेश कमांक 2015 दिनांक 26.04.2016 से की। आरएमएससीएल के आदेश क्रमांक 2015 दिनांक 26.04.16 में फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai को आईटम Platelet Agitator and Incubator के लिये Non-Responsive Declare किया गया ।

फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने निगम के List of Responsive/ Non Responsive Bidders के आदेश दिनांक 26.04.16 में आईटम Platelet Agitator and Incubator के लिये इनकी निविदा को Non-Responsive घोषित किये जाने के विरूद्व प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील संख्या 36/2016 प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 04.07.16 से निर्णित किया।

अपीलकर्ता फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने निगम के आदेश दिनांक 26.04.16 एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं विशिष्ट शासन सचिव के निर्णय दिनांक 04.07.16 के विरूद्व हस्तगत द्वितीय अपील RTPP Act 2012 की धारा 38(4) अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

आरएमएससीएल द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या 116 दिनांक 28.09.15 के तकनीकी स्पेसिफिकेशनों के अनुसार आईटम Platelet Agitator and Incubator के लिये "Should be compliant with European CE or US FDA (Valid documentation should be submitted in technical bid) ,एवं Electrical

निविदादाताओ के लिये रखा गया।

आरएमएससीएल ने बहस दौरान अवगत कराया कि, आईटम के तकनीकी स्पेसिफिकेशनों के अनुसार सभी निविदादाताओं को European CE or US FDA में से एक अथवा दोनों सर्टिफिकेट एवं Electrical safety के लिये रिपोर्ट IEC 60601-1" प्रस्तुत करना था। फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने इस निविदा की तकनीकी बिड खोले जाने की दिनांक 02.01.16 को कोटेड आईटम Platelet Agitator and Incubator के लिये certificate of conformity (CE) issued by EC international, Pune का प्रस्तुत किया जिसमें आईटम के Quoted Model का नाम अंकित नही था, तथा वांछित Electrical safety के लिये रिपोर्ट IEC 60601-1" के स्थान पर फर्म ने Electrical safety test reports is for "IEC 60601-1-2". प्रस्तुत की जिसके आधार पर फर्म की निविदा को Responsive नही किया जा सकता था।

इस निविदा की तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया दौरान ही फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने स्वेच्छा से USFDA Registration सम्बन्धी दस्तावेज भी निगम को प्रस्तुत किये। निगम के अनुसार फर्म को USFDA मे केवल Owner/Operator Number ही प्राप्त है। फर्म को USFDA Registration Number प्राप्त नही है। इन USFDA दस्तावेजो में भी "Please note that registering your device facility and listing your devices does not, in any way, constitute FDA approval of your facility or your devices" का उल्लेख है। सुनवाई दौरान निगम ने यह भी कहा कि, M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai ने तकनीकी निविदा खोले जाने की दिनांक 02.01.16 को, ई–पोर्टल पर प्रस्तुत की गई तकनीकी निविदा में, USFDA रजिस्ट्रेशन के Applied होने के कोई दस्तावेज संलग्न नही किये एवं ना ही तत्समय USFDA Website पर Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai के इस आईटम के Quoted Model का विवरण दर्शित था। अतः Remi ने जो USFDA दस्तावेज निगम को उपलब्ध कराये है, वे बिड के लिये रखे गये तकनीकी मापदण्डो के अनुसार Valid Documents नही है साथ ही फर्म ने वांछित Electrical safety के लिये रिपोर्ट IEC 60601-1" के स्थान पर फर्म ने Electrical safety test reports is for "IEC 60601-1-2". प्रस्तुत की, वह भी इस आईटम की निविदा के तकनीकी मापदण्डो के अनुसार स्वीकार्य नही है।

हमने दोनो पक्षकारो के प्रस्तुत तर्क–वितर्को एवं अवलोकन कराये गये दस्तावेजो का अध्ययन किया। अपीलार्थी फर्म पात्रता के लिये वांछित दस्तावेज को प्रस्तुत करने मे असफल रही। आरएमएससीएल द्वारा सभी निविदादाताओ के लिये रखे गये निविदा मापदण्डो के अनुसार ही निविदा मूल्यांकन की कार्यवाही की गई है। यह अपील के जवाब एवं सुनवाई के समय दिये गये तथ्यों से स्पष्ट होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन आधार पर निगम द्वारा जारी किये गये आदेश दिनांक 26.04.16 को, फर्म की निविदा पात्रता Maintain करने बाबत् वांछित दोनो दस्तावेजो European CE or US FDA मे से कोई भी Valid दस्तावेज उपलब्ध नही था एवं Electrical safety test reports is for "IEC 60601-1". प्रस्तुत नही की। अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी के आलौच्य निर्णय दिनांक 04.07.16 तथा आरएमएससीएल के आदेश क्रमांक 2015 दिनांक 26.04.2016 मे कोई परिर्वतन का तथ्यात्मक आधार प्रकट नही होने कारण, प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जाती है। निर्णय से सभी पक्षकारो को अवगत कराया जावें। आदेश की प्रति विभाग एवं राज्य उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित की जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नियमानुसार रिकॉर्ड मे संधारित की जावें।

वीनू गुप्ता (आई.ए.एस.)
द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

द्वितीय अपील अधिकारी एवं
प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
जयपुर।

पीठासीन अधिकारी–श्रीमती वीनू गुप्ता (आई.ए.एस.)

क्रमांक : प0 07 (13) चिस्वा/ग्रुप–5/2016 जयपुर, दिनांक 27.09.2016

<u>द्वितीय अपील संख्या 09/2016</u>
<u>अन्तर्गत धारा 38 (4),राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012</u>

M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai

अपीलान्ट

बनाम

1. प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं विशिष्ठ शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर।

एवं

2. कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर।

रेस्पोंडेंट

निर्णय दिनांक 27.09.2016

प्रस्तुत अपील पर सुनवाई दिनांक 27.09.2016 को की गई। अपीलान्ट फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai की ओर से प्रतिनिधि श्री विभोर साहनी एवं श्री उमेश गुप्ता उपस्थित हुये तथा आर.एम.एस.सी.एल की ओर से प्रबन्ध निदेशक, कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.) उपस्थित हुये। अपीलान्ट फर्म एवं रेस्पोन्डेन्ट, दोनों पक्षकारो को सुना गया। संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है :–

आर.एम.एस.सी.एल. ने चिकित्सकीय उपकरणों (1) Refrigerated Centrifuge for Blood Components 6-8 Bags (2) Blood Cell Separation / Aphaeresis Machine (3) Blood Collection Monitor (4) Digital Hemoglobin Meter की खुली निविदा किये जाने हेतु निविदा सूचना संख्या F-8( ) RMSC/EPM/M-1/R. C. 15-16/NIB-117/2015/1419 दिनांक 28.09.15 को जारी कर तकनीकी बिड दिनांक 08.01.16 को खोली। इस निविदा सूचना अन्तर्गत फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने आईटम Blood Collection Monitor के लिये अपनी निविदा प्रस्तुत की है।

आरएमएससीएल ने फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा की तकनीकी बिड जॉच कर, इस निविदा अन्तर्गत सभी निविदादाताओ के लिये List of Responsive/ Non Responsive Bidders की घोषणा आदेश क्रमांक 2016 दिनांक 26.04.2016 से की। आरएमएससीएल के आदेश क्रमांक 2016 दिनांक 26.04.16 में फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai को आईटम Blood Collection Monitor के लिये Non-Responsive Declare किया गया ।

फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने निगम के List of Responsive/ Non Responsive Bidders के आदेश दिनांक 26.04.16 में आईटम Blood Collection Monitor के लिये इनकी निविदा को Non-Responsive घोषित किये जाने के विरूद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील संख्या 34/2016 प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 11.08.16 से निर्णित किया।

अपीलकर्ता फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने निगम के आदेश दिनांक 26.04.16 एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं विशिष्ट शासन सचिव के निर्णय दिनांक 11.08.16 के विरूद्ध हस्तगत द्वितीय अपील RTPP Act 2012 की धारा 38(4) अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

आरएमएससीएल द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या 117 दिनांक 28.09.15 के अनुसार आईटम Blood Collection Monitor के लिये तकनीकी स्पेसिफिकेशनों में, "Should be compliant with European CE or US FDA (Valid documentation should be submitted in technical bid) ,एवं Electrical

...afety: Equipment meets electrical safety specifications of IEC 60601-1 and 60601-1-2" को पात्रता का मापदण्ड, सभी निविदादाताओ के लिये रखा।

आरएमएससीएल ने बहस दौरान अवगत कराया कि, आईटम के तकनीकी स्पेसिफिकेशनों के अनुसार सभी निविदादाताओं को European CE or US FDA में से एक अथवा दोनों सर्टिफिकेट एवं Electrical safety के लिये रिपोर्ट IEC 60601-1 and 60601-1-2 प्रस्तुत करना था। फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने इस निविदा की तकनीकी बिड खोले जाने की दिनांक 08.01.16 को कोटेड आईटम Blood Collection Monitor के लिये certificate of conformity (CE) issued by EC international, Pune का प्रस्तुत किया। जिसमें आईटम के Quoted Model का नाम अंकित नही था। फर्म के द्वारा तकनीकी बिड में अपलोड की गई Technical Compliance sheet and Catalogue के अनुसार आईटम Blood Collection Monitor का मॉडल BCM 10 Ultra है। जबकि फर्म ने तकनीकी स्पेसिफिकेशनों के अनुसार वांछित Electrical safety Report- IEC 60601-1 and 60601-1-2 रिपोर्ट मॉडल BCM 20 Ultra की प्रस्तुत की है। अतः इस आईटम के लिये निगम ने आदेश दिनांक 26.04.16 में फर्म की निविदा को Non-Responsive Declare किया।

इस निविदा की तकनीकी मूल्यांकन प्रकिया दौरान ही फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने स्वेच्छा से USFDA Registration सम्बन्धी दस्तावेज भी निगम को प्रस्तुत किये। निगम के अनुसार फर्म को USFDA मे केवल Owner/Operator Number ही प्राप्त है। फर्म को USFDA Registration Number प्राप्त नही है। इन USFDA दस्तावेजो में भी "Please note that registering your device facility and listing your devices does not, in any way, constitute FDA approval of your facility or your devices" का उल्लेख है। सुनवाई दौरान निगम ने यह भी कहा कि, M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai ने तकनीकी निविदा खोले जाने की दिनांक 08.01.16 को, ई–पोर्टल पर प्रस्तुत की गई तकनीकी निविदा में, USFDA रजिस्ट्रेशन के Applied होने के कोई दस्तावेज संलग्न नही किये एवं ना ही तत्समय USFDA Website पर Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai के इस आईटम के Quoted Model का विवरण दर्शित था। अतः Remi ने जो USFDA दस्तावेज निगम को उपलब्ध कराये है, वे बिड के लिये रखे गये तकनीकी मापदण्डो के अनुसार Valid Documents नही है। साथ ही फर्म ने तकनीकी स्पेसिफिकेशनों के अनुसार वांछित Electrical safety Report- IEC 60601-1 and 60601-1-2 कोटेड मॉडल BCM 10 Ultra स्थान पर मॉडल BCM 20 Ultra की प्रस्तुत की है जोकि इस आईटम के तकनीकी मापदण्डो के अनुसार स्वीकार्य नही है।

हमने दोनो पक्षकारो के प्रस्तुत तर्क–वितर्को एवं अवलोकन कराये गये दस्तावेजो का अध्ययन किया। अपीलार्थी फर्म पात्रता के लिये वांछित दस्तावेज को प्रस्तुत करने मे असफल रही। आरएमएससीएल द्वारा सभी निविदादाताओ के लिये रखे गये निविदा मापदण्डो के अनुसार ही निविदा मूल्यांकन की कार्यवाही की गई है। यह अपील के जवाब एवं सुनवाई के समय दिये गये तथ्यों से स्पष्ट होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन आधार पर निगम द्वारा जारी किये गये आदेश दिनांक 26.04.16 को फर्म के पास निविदा पात्रता Maintain करने बाबत् वांछित दोनो दस्तावेजो European CE or US FDA मे से कोई भी Valid दस्तावेज उपलब्ध नही था एवं प्रस्तुत Technical Compliance sheet and Catalogue के अनुसार, कोटेड मॉडल BCM 10 Ultra की Electrical safety Report- IEC 60601-1 and 60601-1-2 प्रस्तुत नही की । अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी के आलौच्य निर्णय दिनांक 11.08.16 तथा आरएमएससीएल के आदेश कमांक 2016 दिनांक 26.04.2016 मे कोई परिर्वतन का तथ्यात्मक आधार प्रकट नहीं होने कारण, प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जाती है। निर्णय से सभी पक्षकारो को अवगत कराया जावें। आदेश की प्रति विभाग एवं राज्य उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित की जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नियमानुसार रिकॉर्ड मे संधारित की जावें।

वीनू गुप्ता (आई.ए.एस.)
द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

राजस्थान सरकार
द्वितीय अपील अधिकारी एवं
प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
जयपुर।
पीठासीन अधिकारी–श्रीमती वीनू गुप्ता (आई.ए.एस.)

क्रमांक : प0 07 (9) चिस्वा/ग्रुप–5/2016 जयपुर, दिनांक 26.09.2016

द्वितीय अपील संख्या 10/2016
अन्तर्गत धारा 38 (4),राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम, 2012

M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai

अपीलान्ट

बनाम

1. प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं विशिष्ठ शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर।

एवं

2. कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.), राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर।

रेस्पोंडेंट

निर्णय दिनांक 26.09.2016

प्रस्तुत अपील पर सुनवाई दिनांक 26.09.2016 को की गई। अपीलान्ट फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Remi House 11 Cama Indl. Estate Goregaon East Mumbai की ओर से प्रतिनिधि श्री विभोर साहनी एवं श्री उमेश गुप्ता उपस्थित हुये तथा आर.एम.एस.सी.एल की ओर से प्रबन्ध निदेशक, कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.) उपस्थित हुये। अपीलान्ट फर्म एवं रेस्पोन्डेन्ट, दोनों पक्षकारो को सुना गया। संक्षिप्त मे अपील के तथ्य इस प्रकार है :–

आर.एम.एस.सी.एल. ने चिकित्सकीय उपकरणों (01) Table Top Centrifuge 12 X 15ml Tubes (02) Digital Analytical Balance, Single Pan (03) Kit Storage Refrigerator 350 Ltr Capacity (04) -40 degree C Deepfreezer (Cap. 300 Plasma Bags) (05) -80 degree C Deep freezer (Cap. 300 Plasma Bags) (06) Double Pan Balance की खुली निविदा किये जाने हेतु निविदा सूचना संख्या F-8( ) RMSC/EPM/M-1/R.C. 15-16/NIB-115/2015/1418 दिनांक 28.09.15 को जारी कर तकनीकी बिड दिनांक 02.01.16 को खोली। इस निविदा सूचना अन्तर्गत अपीलकर्ता फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने आईटम) -40 degree C Deepfreezer (Cap. 300 Plasma Bags) & -80 degree C Deep freezer (Cap. 300 Plasma Bags) के लिये अपनी निविदा प्रस्तुत की है।

आरएमएससीएल ने फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा की तकनीकी बिड जॉच कर, इस निविदा अन्तर्गत सभी निविदादाताओ के लिये List of Responsive/ Non Responsive Bidders की घोषणा आदेश क्रमांक 2012 दिनांक 26.04.2016 से की। आरएमएससीएल के आदेश क्रमांक 2012 दिनांक 26.04.16 में फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai को आईटम -40 degree C Deepfreezer (Cap. 300 Plasma Bags) & -80 degree C Deep freezer (Cap. 300 Plasma Bags) के लिये Non-Responsive Declare किया गया ।

फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने निगम के List of Responsive/ Non Responsive Bidders के आदेश दिनांक 26.04.16 में आईटम -40 degree C Deepfreezer (Cap. 300 Plasma Bags) & -80 degree C Deep freezer (Cap. 300 Plasma Bags) के लिये इनकी निविदा को Non-Responsive घोषित किये जाने के विरूद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील संख्या 35/2016 प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 11.08.16 से निर्णित किया।

अपीलकर्ता फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने निगम के आदेश दिनांक 26.04.16 एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं विशिष्ट शासन सचिव के निर्णय दिनांक 11.08.16 के विरूद्ध हस्तगत द्वितीय अपील RTPP Act 2012 की धारा 38(4) अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

... निविदा सूचना संख्या 115 दिनांक 28.09.15 के अनुसार आईटम -40 degree C Deepfreezer (Cap. 300 Plasma Bags) & -80 degree C Deep freezer (Cap. 300 Plasma Bags) के लिये तकनीकी स्पेसिफिकेशनों में, "Should be compliant with European CE or US FDA (Valid documentation should be submitted in technical bid) ,एवं Electrical safety: Equipment meets electrical safety specifications of IEC 60601-1 for Deep Freezer - 40°C" की पात्रता का मापदण्ड, सभी निविदादाताओ के लिये रखा।

आरएमएससीएल ने बहस दौरान अवगत कराया कि, आईटम के तकनीकी स्पेसिफिकेशनों के अनुसार सभी निविदादाताओं को European CE or US FDA में से एक अथवा दोनों सर्टिफिकेट एवं Electrical safety के लिये रिपोर्ट IEC 60601-1 प्रस्तुत करना था। फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने इस निविदा की तकनीकी बिड खोले जाने की दिनांक 02.01.16 को कोटेड आईटम -40 degree C Deepfreezer (Cap. 300 Plasma Bags) & -80 degree C Deep freezer (Cap. 300 Plasma Bags) के लिये certificate of conformity (CE) issued by EC international, Pune का प्रस्तुत किया। जिसमें आईटम के Quoted Model का नाम अंकित नही था। अतः इन दोनों आईटमों के लिये निगम ने आदेश दिनांक 26.04.16 में फर्म की निविदा को Non-Responsive Declare किया।

इस निविदा की तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया दौरान ही फर्म M/s Remi Elektrotechnik Ltd. Mumbai ने स्वेच्छा से USFDA Registration सम्बन्धी दस्तावेज भी निगम को प्रस्तुत किये। निगम के अनुसार फर्म को USFDA मे केवल Owner/Operator Number ही प्राप्त है। फर्म को USFDA Registration Number प्राप्त नही है। इन USFDA दस्तावेजो में भी "Please note that registering your device facility and listing your devices does not, in any way, constitute FDA approval of your facility or your devices" का उल्लेख है। सुनवाई दौरान निगम का यह भी तर्क रहा कि, M/s Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai ने तकनीकी निविदा खोले जाने की दिनांक 02.01.16 को, ई-पोर्टल पर प्रस्तुत की गई तकनीकी निविदा में, USFDA रजिस्ट्रेशन के Applied होने के कोई दस्तावेज संलग्न नही किये एवं ना ही तत्समय USFDA Website पर Remi Elektrotechnik Ltd., Mumbai के इस आईटम के Quoted Model का विवरण दर्शित था। अतः Remi ने जो USFDA दस्तावेज निगम को उपलब्ध कराये है, वे बिड के लिये रखे गये तकनीकी मापदण्डो के अनुसार Valid Documents नही है। साथ ही निविदा के तकनीकी स्पेसिफिकेशनों के अनुसार वांछित European CE के स्थान पर फर्म द्वारा प्रस्तुत Certificate of conformity (CE) issued by EC international, Pune स्वीकार्य नही है।

हमने दोनो पक्षकारो के प्रस्तुत तर्क-वितर्कों एवं अवलोकन कराये गये दस्तावेजो का अध्ययन किया। अपीलार्थी फर्म पात्रता के लिये वांछित दस्तावेज को प्रस्तुत करने मे असफल रही। आरएमएससीएल द्वारा सभी निविदादाताओ के लिये रखे गये निविदा मापदण्डो के अनुसार ही निविदा मूल्यांकन की कार्यवाही की गई है। यह अपील के जवाब एवं सुनवाई के समय दिये गये तथ्यों से स्पष्ट होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन आधार पर निगम द्वारा जारी किये गये आदेश दिनांक 26.04.16 को फर्म के पास निविदा पात्रता Maintain करने बाबत् वांछित दोनो दस्तावेजो European CE or US FDA मे से कोई भी Valid दस्तावेज उपलब्ध नही था एवं वांछित European CE के स्थान पर प्रस्तुत Certificate of conformity (CE) issued by EC international, Pune स्वीकार्य नही है। अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी के आलौच्य निर्णय दिनांक 11.08.16 तथा आरएमएससीएल के आदेश कमांक 2012 दिनांक 26.04.2016 मे कोई परिर्वतन का तथ्यात्मक आधार प्रकट नही होने कारण, प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जाती है। निर्णय से सभी पक्षकारो को अवगत कराया जावें। आदेश की प्रति विभाग एवं राज्य उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित की जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नियमानुसार रिकॉर्ड मे संधारित की जावें।

वीनू गुप्ता (आई.ए.एस.)
द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग